

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-239/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० हरेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विजयपुर, गोपालगंज के दिनांक-27.11.1988 से 31.10.1989 तक की अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

i	दिनांक-27.11.1988 से 30.10.1989 तक	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय पत्रांक-2045(2) दिनांक-30.11.2011)।
ii	दिनांक-31.10.1989 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-239/2025- 2353(2) /स्वा०, पटना, दिनांक 25/9 / 2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, दीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विजयपुर, गोपालगंज / कोषागार पदाधिकारी गोपालगंज / डा० हरेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विजयपुर, गोपालगंज का पत्राचार पता-ग्राम-हेसराजपुर मिडिल स्कूल के पास, पोस्ट-एकमा, जिला-छपरा, सारण, पिनकोड-841208 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. N. M. K. 25/9/26
सरकार के उप सचिव।

8